

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0) मुरादाबाद।

पत्रांक- C-1450 / जि0का0अधि0 / 2026-27 / दिनांक- 01/07/2026

**विज्ञापित**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद मुरादाबाद के शहरी / ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ताहार उ0प्र0 लखनऊ द्वारा तैयार किये गये विभागीय पोर्टल [upanganwadibharti.in](http://upanganwadibharti.in) पर केवल महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	बाल विकास परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण			
		अनु0 जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनारक्षित	योग
1	मुरादाबाद शहर	3	6	22	31
2	मुरादाबाद ब्लाक	0	5	8	13
3	डींगरपुर	2	1	3	6
4	बिलारी	16	27	44	87
5	छजलैट	2	2	2	6
6	मूण्डापांडे	7	11	17	35
7	भगतपुरटांडा	3	2	4	9
8	डिलारी	2	3	6	11
9	ठाकुरद्वारा	1	4	4	9
	योग	36	61	110	207

उपरोक्त पदों का ग्राम पंचायतवार/ वार्डवार विवरण एवं आरक्षण विभागीय पोर्टल [upanganwadibharti.in](http://upanganwadibharti.in) पर अपलोड कर दिया गया है। अस्पष्टता की स्थिति में परियोजना कार्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-

1. उक्त रिक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थिनी पात्र होंगी और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगी।
2. चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास विभाग एवं पुष्ताहार उ0प्र0 शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) 17 सितम्बर 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। उपरोक्त शासनादेश को उ0प्र0 शासनादेश की अधिकारिक वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त शासनादेश परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा है।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष निर्धारित है।
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 से की जायेगी। अभ्यर्थिनी

की जन्मतिथि के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

5. रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र की अभ्यर्थिनियों से अपेक्षा है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते में वार्ड का नाम एवं नम्बर अंकित हो। या निवास प्रमाण पत्र में अंकित पता पार्षद द्वारा सत्यापित किया गया हो।
6. विधवा अभ्यर्थिनी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
7. तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा।
8. आय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-राज०-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14.09.2015 के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
9. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
10. ग्राम पंचायतवार/ वार्डवार रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण बाल विकास परियोजना कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय विकास भवन, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख ऑनलाइन फार्म में किया गया है।
12. कोई भी आवेदन या अभिलेख / प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा प्रेषित किये जाने पर मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक / पूर्णांक गलत या कूट रचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
13. विज्ञापित पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि **22.07.2026** को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
14. उपरोक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्णतया पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से शासनादेश में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पादित होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
15. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जो वेबसाईट पर प्रदर्शित होगी।

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान दिया जाये—

1. समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन विभागीय पोर्टल [upanganwadibharti.in](http://upanganwadibharti.in) से होनी है। कोई भी आवेदन किसी भी स्तर से हार्ड कॉपी में नहीं प्राप्त किया जाना है।
2. ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रमाण-पत्र के कमांक व शैक्षिक अर्हताओं के सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरती जाये। आवेदक द्वारा अपने आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र के आवेदन कमांक पंजीकरण कमांक, निर्गत तिथि 'आदि का पोर्टल द्वारा ही ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पोर्टल से ही होनी है।

(शैलेन्द्र कुमार राय)

जिला कार्यक्रम अधिकारी

मुरादाबाद।

पृष्ठांकन पत्र संख्या - 6-1450 तददिनांक- 01/07/2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय मुरादाबाद।
5. समस्त उपजिलाधिकारी मुरादाबाद।
6. सहायक निदेशक, सूचना मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि सर्वाधिक पढे जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क अथवा न्यूनतम स्पेस में शासकीय दर पर विज्ञापित प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें। **हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण।**
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद मुरादाबाद।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी / प्रभारी जनपद मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि सभी रिक्त पदों का आरक्षण सहित विवरण तहसील, विकास खण्ड, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 तथा अपने कार्यालय में चस्पा करें एवं ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर ग्राम प्रधान/सभासद के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी

मुरादाबाद।